

प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 07.06.2022

थाना शाहपुर एवं थाना गोरखनाथ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा गैंगेस्टर अधिनियम के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के कुशल निर्देशन में रणधीर कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना शाहपुर तथा मनोज कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ के नेतृत्व में थाना शाहपुर टीम व थाना गोरखनाथ की टीम द्वारा सक्रियता दिखाते हुए दिनांक 07.06.2022 को समय लगभग 12.45 बजे स्पोर्ट कालेज चौराहे के पास से अभियुक्त मुकेश कुमार वर्मा पुत्र सुरेन्द्र वर्मा निवासी वैलो थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर उम्र 29 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

अभियुक्त मुकेश कुमार वर्मा पुत्र सुरेन्द्र वर्मा निवासी वैलो थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर उम्र 29 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

स्थान- स्पोर्ट कालेज चौराहे के पास, दिनांक 07.06.2022 व समय 12.45 बजे

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 1446/2020 धारा 380 भादवि- थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 1428/2020 धारा 380 भादवि- थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 1409/2020 धारा 380 भादवि- थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 1351/2020 धारा 380, 506 भादवि- थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 0296/21 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 पंकज यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 सत्यप्रकाश थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 नूरुद्दीन खान थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
4. का0 प्रशान्त नाविक थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
5. का0 राहुल सरोज थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
6. का0 दीपक यादव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर